

राजस्व लोक अदालत 2015 केम्प कोर्ट सरदारनगर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

--:मूल वाद में अन्तिम डिक्री:-

(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पैदासीन अधिकारी श्री नन्द किशोर राजोरा आर ए एस

प्रकरण संख्या 98/2011 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अनवान

श्री नन्दा पिता सेवा तेली निवासी सरदारनगर तह. बनेड़ा जि. भीलवाड़ा
.....वादी

बनाम

- 1- श्री रामा पिता सेवा तेली निवासी सरदारनगर तह. बनेड़ा
- 2- श्री जगदीश पिता सेवा तेली निवासी सरदारनगर तह. बनेड़ा
- 3- अब्बास अली पिता सांवतखॉ कायमखानी निवासी भीमपुरा
- 4- श्री केशुलाल पिता कल्याण तेली निवासी सरदारनगर
- 5- श्री रामसुख पिता ज्वारा तेली निवासी सरदारनगर
- 6- श्री गोर्वधन पिता ज्वारा तेली निवासी सरदारनगर
- 7- श्री सेवा पिता भुवाना तेली निवासी सरदानगर
- 8- श्री माधु पिता काना तेली निवासी सरदानगर
- 9- श्री बदरी पिता काना तेली निवासी सरदानगर
- 10- श्रीमती उगमी पुत्री काना तेली निवासी सरदानगर
- 11- श्री रूकमा पुत्री काना तेली निवासी सरदानगर
- 12- श्री गगाराम पिता कल्याण तेली निवासी सरदानगर
- 13- श्री नगजी पिता कल्याण तेली निवासी सरदानगर
- 14- श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी कल्याण तेली निवासी सरदानगर
- 15- श्री राजु पिता छोगा तेली निवासी सरदानगर
- 16- श्री गोपाल पिता छोगा तेली निवासी सरदानगर
- 17- श्रीमती कंकू पुत्री छोगा तेली निवासी सरदानगर
- 18- श्रीमती बरजी बेवा छोगा तेली निवासी सरदानगर
- 19- श्री रामेश्वर पिता छगना तेली निवासी सरदानगर
- 20- श्री प्रभुलाल पिता छगना तेली निवासी सरदानगर
- 21- श्री गणेश पिता छगना तेली निवासी सरदानगर
- 22- श्री लादूलाल पिता नगजी तेली निवासी सरदानगर
- 23- श्री नारायण पिता नगजी तेली निवासी सरदानगर
- 24- श्री कैलाशचन्द्र पिता नगजी तेली निवासी सरदानगर

(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

- 21- श्री प्रभुलाल पिता नगजी तेली निवासी सरदानगर
 22- श्रीमती कमला पुत्री नगजी तेली निवासी सरदानगर
 23- श्रीमती जमना पुत्री नगजी तेली निवासी सरदानगर
 24- श्रीमती धापु पुत्री नगजी तेली निवासी सरदानगर
 25- श्रीमती बरजी पत्नी नगजी तेली निवासी सरदानगर
 30- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वादी नन्दा स्वयं तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादीगणों ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजस्व लोक अदालत 2015 केम्प कोर्ट सरदानगर में आपसी राजीनामों से निम्नानुसार उक्त वाद को अन्तिम डिक्री हेतु विभाजन प्रस्ताव के रूप में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 53 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त हुआ। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थिति पक्षकारान को सुना गयो तथा विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति का स्वीकार किया जाता है। माफिक राजीनामा पक्षकारान का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

क- श्री नन्दा पिता सेवा तेली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा	किस्म भूमि	लगान
2772/3	0.12 बीघा	जा0 - ॥	2.43
2771/3	0.13 बीघा	जा0 - ॥	2.63
कुल किता-2	रकबा 1.05 बीघा		5.06

ख- श्री रामा पिता सेवा तेली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा	किस्म भूमि	लगान
2772/1	0.04 बीघा	चाही - ॥	1.62
2771/1	0.03 बीघा	चाही - ॥	1.21
कुल किता-2	रकबा 0.07 बीघा		2.83

ग- श्री जगदीश पिता सेवा तेली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा	किस्म भूमि	लगान
2772/2	0.04 बीघा	चाही - ॥	1.62
2771/2	0.04 बीघा	चाही - ॥	0.41
		जा0 - ॥	0.03
कुल किता-2	रकबा 0.08 बीघा		2.64

घ- श्री केशु पिता कल्याण तेली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा	किस्म भूमि	लगान
2772/4	0.05 बीघा	जाव - ॥	0.03
		चाही - ॥	0.02
			0.81

(नन्द किशोर राजोरा)
 उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
 जिला भीलवाड़ा (राज.)

शामलाती जमाबन्दी बदस्तुर

आराजी संख्या

रकबा

629

0.17 बीघा

जाव - III चाही - III

2770

0.06 बीघा

गै.मु. पाल

कुल किता-2

रकबा 1.03 बीघा

आपसी सहमति से पक्षकारान के हस्ताक्षरशुदा प्रार्थनापत्र किता-2 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस किता-2 को इस डिक्री का भाग घोषित किया जाता है। आदेश की पालनार्थ उक्त डिक्री की प्रति मय सहमति विभाजन आवेदन किता-2 एवं ट्रेस किता-2 तहसीलदार बनेड़ा को प्रेषित हो। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

आज दिनांक 21.05.2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा,
जिला भीलवाड़ा (राज.)